न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :– 14 / 2024 GCMS No. 2024/67

परिवादी :–

1. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री राम चंद्र सिंधी पुत्र स्व. गंगाराम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
   मैसर्स– भावेश जनरल स्टोर, धुतो का चौक, मैन बाजार मकराना
   निवासी– मतावर रोड, छतरीयों का वास मकराना

" परिवाद अन्तर्गत धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 "

उपस्थिति :–

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.07.2024 को समय 02.30 P.M. पर फर्म मैसर्स भावेश जनरल स्टोर, धुतो का चौक, मैन बाजार मकराना पर पहुंचा। वहां पर श्री राम चंद्र सिंधी पुत्र स्व. गंगाराम मिले। श्री राम चंद्र सिंधी को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री राम चंद्र सिंधी ने स्वयं को फर्म मैसर्स भावेश जनरल स्टोर, धुतो का चौक, मैन बाजार मकराना का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध मिठठी सुपारी (जोया) लगभग 80 पेकेट 72–72 ग्राम के रखे है के अमानक / मिथ्या छाप का शक होने पर 72–72 ग्राम के 24 पैकेट मिठी सुपारी (जोया) खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री राम चंद्र सिंधी को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री राम चंद्र सिंधी को 1080 /– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर हैं, तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राम चंद्र सिंधी एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालि[illegible] कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिठ[illegible]पारी (जोया) 72–72 [illegible] के पैकेटो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और [illegible] के कोड एवं क्रमांक [illegible]069 दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-3069 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारों नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री नवल किशोर सोनी एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांकः एफएसएसए/जा.रि./2024/493 दिनॉक 30.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **L.S./823/Act/2024/850** दिनांक 18.07.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिठी सुपारी का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में श्री राम चन्द्र सिंधी ने खाद्य पदार्थ मिठी सुपारी (जोया) मिसब्राण्ड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा **3(1)(zf) (C) (i) Misbrand [Permitted water soluble synthetic food colour Carmosine and mineral oil but Specifc name or INS number Not given in list of Ingredient on label of sample. Contravention of Regulations No. 5(5) of Food Safety and Standards (Labelling and display) Regulations, 2020, Chapter-2., धारा 26(2)(ii)** का उल्लंघन किया है के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय मे अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 52 के अन्तर्गत निहित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुश्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, ... अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की ... प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 13.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

श्री राम चन्द्र सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अभियुक्त राम चन्द्र सिंधी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S./823/Act/2024/850 दिनांक 18.07.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of Meethi Supari bearing Code No. and Sr. No. Q-3069 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री रामचन्द्र सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स– भावेश जनरल स्टोर, धुतो का चौक, मैन बाजार मकराना से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिठी सुपारी (जोया) नमूना नं. **Q-3069** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड **Q-3069** वाले मिठी सुपारी (जोया) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के वनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नही है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(1) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :–(V) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-52

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति धन, जो तीन लाख रूपये तक की हो सकेगी दायित्व होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार मिठी सुपारी (जोया) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री रामचन्द्र सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता मैसस भावेश जनरल स्टोर, धुतो का चौक, मैन बाजार मकराना उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त श्री रामचन्द्र सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स भावेश जनरल स्टोर, धुतो का चौक, मैन बाजार मकराना राशि रुपये 5100/–(अक्षरे पांच हजार सौ रुपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested